

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(61)/ग्रावि/ग्रुप-5/PMAY-G/मैसन मिस्ट्री/15-16 जयपुर, दिनांक 28 अगस्त, 2019

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।


विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्र दिनांक 08.08.19 एवं 21.08.19

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत मैसन प्रशिक्षण (RPL/RMT) CSDCI से अनुमोदित संस्थाओं के माध्यम से आयोजित किये जाने है। इस हेतु कलक्टर में आवासों का चिन्हीकरण, मान्यता प्राप्त संस्थाओं से Technical Bid आदि की कार्यवाही की जाकर मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।


उक्त संबंध में मैसन प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित लक्ष्यानुसार प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की गई कार्यवाही एवं कार्य-योजना की प्रगति की अद्यतन सूचना दिनांक 30.08.19 तक निम्न प्रारूप में प्रेषित करें:-

क्र.स.	नाम जिला	आवंटित लक्ष्य	आवंटित लक्ष्यानुसार मैसन प्रशिक्षण आयोजित करने बाबत EOI एवं प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कार्य योजना का विवरण

भवदीय

(कैलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।


अधीक्षण अभियंता, ग्रावि